सेवा कर आयुक्त आदि

बनाम

मेसर्स भयाना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड आदि

फरवरी 19, 2018

[ए0 के0 सिकरी और अशोक भूषण, न्यायमूर्तिगण]

वित्त अधिनियम, 1994 –

एस. 65 (105)(जेड जेड क्यू) और 67– सेवा कर– निर्माण सेवाओं पर– कर योग्य सेवा का मूल्यांकन– दिनांक 10.9.2004 की अधिसूचना के अनुसार, सेवा कर की गणना कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए ऐसी व्यावसायिक संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति से ली गई 'सकल राशि' के 33% के बराबर मूल्य पर की जानी थी। – इस अधिसूचना को अधिसूचना दिनांक 1.3.2005 द्वारा आगे संशोधित किया गया था, जिसके तहत यह समझाया गया था कि 'सकल राशि' में ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निर्माण सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति की गई और प्रदान की गई या उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सामग्रियों का मूल्य शामिल होगा – शुरू की गई निर्माण परियोजनाओं में निर्धारिती द्वारा, कुछ सामग्री सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई थी – निर्धारिती ने सेवा प्राप्तकर्ताओं से ली गई कुल राशि का 33% की दर से सेवा कर का भुगतान किया – राजस्व की मांग है कि ऐसी सामग्रियों का मूल्य, भले ही आपूर्ति या मुफ्त प्रदान किया गया हो, होना चाहिए 'सकल मूल्य' की गणना करते समय शामिल किया गया है और उसके 33% को सेवा कर लगाने के उद्देश्य से मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए – माना गया: सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं/सामग्रियों के संबंध में, निर्धारिती/सेवा प्रदाता द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है – इसलिए, सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई वस्तुओं/सामग्रियों का मूल्य 'सकल राशि' निकालते समय शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता से कोई कीमत नहीं ली गई है – निःशुल्क आपूर्ति की गई वस्तुएं/सामग्री , को 'भुगतान का रूप' भी नहीं कहा जा सकता जैसा कि धारा 67 के स्पष्टीकरण (सी) में बताया गया है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अभिनिर्धारित: 1.1 'सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा ली जाने वाली सकल राशि' अभिव्यक्ति का एक सादा अर्थ वह 'इस स्पष्ट निष्कर्ष पर ले जाएगा कि

सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाने वाली वस्तुओं/सामग्री का मूल्य' सकल राशि 'पर पहुंचने पर शामिल नहीं किया जाना है, केवल इस कारण से कि निर्धारिती/सेवा प्रदाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री के संबंध में सेवा प्राप्तकर्ता से कोई मूल्य नहीं लिया जाता है। यह सेवा प्रदाता/निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए शब्दों से और मजबूत होता है। पुनः, जाहिर है, सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं/सामग्रियों के संबंध में, निर्धारिती/सेवा प्रदाता द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है। धारा 67 की उप–धारा (1) का स्पष्टीकरण 3 यह स्पष्ट करके किसी भी संदेह को दूर करता है कि कर योग्य सेवा के लिए ली गई सकल राशि में ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त राशि शामिल होगी, जिसका अर्थ है कि जहां नहीं ऐसी सामग्री/वस्तुओं के संबंध में जो राशि ली जाती है, उसे शामिल नहीं किया जाता है, जो सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाती है, स्वाभाविक रूप से, सेवा प्रदाता/निर्धारिती द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की जाती है।हालाँकि, धारा 67 की उपधारा (4) में कहा गया है कि मूल्य निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, तथापि, यह उपधारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन है। इसके अलावा, ऐसा कोई तरीका निर्धारित नहीं है जिसमें सकल मूल्य के निर्धारण के लिए सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई मुफ्त वस्तुओं/सामग्री का मूल्य शामिल हो। **[पैरा 13] [1141–एफ–एच; 1142–ए बी]**

1.2 धारा 67 के स्पष्टीकरण (सी) में दी गई "सकल राशि प्रभारित" की परिभाषा केवल भुगतान या पुस्तक समायोजन के तरीकों के लिए प्रदान करती है जिसके द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। यह "सकल चार्ज की गई राशि" शब्द के अर्थ का विस्तार नहीं करता है, जिससे विभाग अनुबंध मूल्य या सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए सेवा प्राप्तकर्ता से ली गई वास्तविक राशि को नजरअंदाज कर सके। तथ्य यह है कि यह एक समावेशी परिभाषा है और संपूर्ण नहीं हो सकती है, इससे यह निष्कर्ष भी नहीं निकलता है कि अनुबंध मूल्य को नजरअंदाज किया जा सकता है और कर योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए अनुबंध मूल्य के ऊपर मुफ्त आपूर्ति वाले सामान का मूल्य जोड़ा जा सकता है। सेवाएँ। कर योग्य सेवाओं का मूल्य सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर नहीं हो सकता है। सेवा प्राप्तकर्ता किसी भी गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग कर सकता है और ऐसे सामान का मूल्य काफी भिन्न हो सकता है। इस तरह के मूल्य का सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार, पहले सिद्धांत पर ही, एक मूल्य जो सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता के बीच अनुबंध का हिस्सा नहीं है, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं के मूल्य के निर्धारण में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं/सामग्रियों का मूल्य भुगतान का एक रूप है और इसलिए इसे जोड़ा जाना चाहिए। [पैरा 15 और 16] [1142–जी–एच; 1143 ए–सी–डी]

1.3 सेवा कर 'करयोग्य सेवाओं' के संबंध में लगाया जाना है और कुल वसूल की गई राशि का 33% तक पहुंचने के उद्देश्य से लगाया जाना है, जब तक कि कुछ वस्तुओं/सामग्रियों का मूल्य विधानमंडल द्वारा विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाता है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता है। प्रश्नगत अधिसूचनाएँ छूट अधिसूचनाएँ हैं जो अधिनियम की धारा 93 के तहत जारी की गई हैं। धारा 93 के अनुसार, केंद्र सरकार को पूर्ण या आंशिक रूप से सेवा कर लगाने से छूट देने का अधिकार है, जो धारा 65 के खंड (105) के किसी भी उप–खंड में परिभाषित किसी भी 'कर योग्य सेवा' पर लगाया जाता है। इस प्रकार , धारा 93 के तहत छूट केवल उन गतिविधियों के संबंध में दी जा सकती है जिन पर संसद सेवा कर लगाने में सक्षम है और खंड (105) के (जेड जेड क्यू) और उपखंड (जेड जेड यू) के अंतर्गत आती है। अधिनियम के अध्याय V की धारा 65 जिसके तहत ऐसी अधिसूचनाएँ जारी की गई । [पैरा 19 और 20] [1145–ई–जी]

आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केरल बनाम एम एस लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड **(2016) 1 एस सी सी 170 [2015] 8 एस सी आर 1046** – पर भरोसा किया गया।

2. 2015 की सिविल अपील संख्या 3247 में, निर्धारिती एक था एकमात्र स्वामित्व उस व्यक्ति की चिंता है जिसकी मृत्यु हो गई है। यह अपील निरस्त कर दी गई है। [पैरा 22] [1146–ए–बी]

शबीना अब्राहम और ओरस बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर & सीमा शुल्क **(2015) 10 एससीसी 770 [2015] 8 एससीआर 151** – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 8 एससीआर 1046 उस पर भरोसा करें पैरा 19

[2015] 8 एससीआर 151 संदर्भित किया गया पैरा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 1335–1358 / 2018 ।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की अपील सं. 2008 का एस. टी. / 247, 52, 53, 65, 97, 119, 158, 236, 503, 601, 621, 629 और 746; 2009 का एस. टी. /334, 422, 436, 469, 482, 490 और 510; 2010 का एस. टी. / 935, 936 और 1075; 2013 का एस. टी. / 55615 में परित अंतिम आदेश क्रमांक 394–417 / 2013 से शुब्ध होकर ।

के साथ

सीए 2017 का नंबर 15865, सी.ए. 2015 की संख्या 2888, सी.ए. 2015 की संख्या 7238, सी.ए. 2015 की संख्या 3248–3252, सी.ए. 2014 की संख्या 2452–2455, सी.ए. 2015 की संख्या 45, सी.ए. 2015 का नंबर 1400, सी.ए. 2017 का नंबर 10206, सी.ए. 2016 की संख्या 6207, सी.ए. 2014 की संख्या 8148–8149, सी.ए. 2014 का नंबर 7370, सी.ए. 2014 का नंबर 10027, सी.ए. 2015 का नंबर 4209, सी.ए. 2015 की संख्या 1326, सी.ए. 2015 की संख्या 1647, सी.ए. 2015 की संख्या 3060, सी.ए. 2015 की संख्या 2437, सी.ए. 2015 का क्रमांक 1888, सी.ए. 2015 की संख्या 2081, सी.ए. 2015 की संख्या 2082–2083, सी.ए. 2015 की संख्या 4208, सी.ए. 2015 की संख्या 3247, सी.ए. 2015 की संख्या 2474, सी.ए. 2015 का नंबर 5601, सी.ए. 2015 का नंबर 7038, सी.ए. 2015 की संख्या 7235, सी.ए. 2015 की संख्या 7243, सी.ए. 2016 का नंबर 4970, सी.ए. 2016 का नंबर 5941, सी.ए. 2016 की संख्या 8484, सी.ए. 2018 का नंबर 2338, सी.ए. 2017 की संख्या 5319–5320, सी.ए. 2017 का नंबर 15485, सी.ए. 2017 का नंबर 11085, सी.ए. 2017 का नंबर 10606, सी.ए. 2017 का नंबर 15570, सी.ए. 2017 का नंबर 12451, सी.ए. 2017 का नंबर 11182, सी.ए. 2015 की संख्या 1430, सी.ए. 2017 का नंबर 9423 और सी.ए. 2017 का क्रमांक 10611.

सुश्री शिरीन खजूरिया, सुश्री निशा बागची, सुश्री बी. सुनीता राव, राजीव नंदा, सुश्री पूजा शर्मा, अनुराग, शशांक कुमार, रूपेश कुमार, बी. कृष्णा प्रसाद, वी. लक्ष्मीकुमारन, सुश्री एल. चरण्या, आदित्य भट्टाचार्य, विक्टर दास, एल. बद्री नारायणन, सुश्री अपेक्षा मेहता, एम. पी. देवनाथ, अनिल कुमार तांडले, के. वी. मोहन, राकेश सिन्हा, सुश्री शिप्रा घोष, अशोक के. महाजन, रुपेश कुमार, सुस्मित पुष्कर, अभिजीत स्वरूप, आयुष मेहरोत्रा, प्रवीण स्वरूप, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, प्रमोद बी. अग्रवाल, एम. पी. विनोद, आर. पार्थसारथी, प्रवीण सताले, राजीव शंकर द्विवेदी, एस. सुनील, सुदर्शन सिंह रावत, अमित यादव, जे. के. मिश्रा, नीलकांत नायक, कौशल नारायण मिश्रा, शिशिर देशपांडे, तरुण गुलाटी, स्पर्श भार्गव, सुश्री इशिता फरसैया, निखिल गुप्ता, अनुपम मिश्रा, विपिन

उपाध्याय, किशोर कुणाल, आर. चंद्रचूड़, मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी, रजत जोसेफ, पुनीत दत्त त्यागी, अरविंद एस., ए. लक्ष्मी नारायणन, मोहिंदर जीत सिंह, रुचिर भाटिया, भार्गव वी. देसाई, अक्षत मालपानी, विनय गर्ग, उदय सिंह, सुश्री दीपम गर्ग, आयुष अग्रवाल, रुपेश गुप्ता और सुश्री तान्या तिवारी, उपस्थित पक्षों के वकील।

ए. के. सिकरी, जे. 1. 2016 की डायरी संख्या 42349 में देरी को माफ कर दिया गया।

2. यहाँ उत्तरदाता निर्माण के व्यवसाय में लगे हुए हैं और इस प्रक्रिया में, 'वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा' के रूप में जानी जाने वाली सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह सेवा वित्त अधिनियम, 1994 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 65 (105) (जेड जेड क्यू) के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर के लिए उपयुक्त है। निर्धारिती स्वीकार करते हैं कि वे इसके दायरे में आते हैं और इसलिए वे सेवा कर का भी भुगतान कर रहे हैं। हालाँकि, विवाद उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवा के मूल्यांकन के संबंध में है। अधिनियम की धारा 67 के तहत इस तरह के मूल्यांकन से संबंधित है।

3. यह आम जानकारी की बात है कि निर्माण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए, निर्धारिती न केवल सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि भवन या नागरिक संरचना आदि के निर्माण में भी बहुत सारी सामग्री/वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन के लिए, सामग्री/माल तत्व को बाहर रखा जाना चाहिए। निर्धारिती के साथ–साथ निर्धारण अधिकारियों (ए. ओ.) के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए, सरकार ने 10 सितंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 15/2004–एस. टी. जारी की, जिसके अनुसार सेवा कर की गणना उस मूल्य पर की जानी है जो कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी भी व्यक्ति से ली गई सकल राशि के 33 प्रतिशत के बराबर है। इस अधिसूचना को 1 मार्च, 2005 की एक अन्य अधिसूचना संख्या 4/2005–एस टी के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसके तहत मूल अधिसूचना में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। इस स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि 'प्रभारित सकल राशि' में ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निर्माण सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति की गई और प्रदान की गई या उपयोग की गई वस्तुओं और सामग्री का मूल्य शामिल होगा। निर्धारिती के लिए उपरोक्त अधिसूचना का लाभ उठाना और मूल्य प्राप्त करना वैकल्पिक बनाया गया है इसमें दिए गए उपरोक्त सूत्र के अनुसार गणना की जाती है। निर्धारिती ने लाभ उठाया है और सकल राशि के 33 प्रतिशत की दर से सेवा कर का भुगतान किया है राशि जो उन्होंने उन व्यक्तियों से ली है जिनके लिए निर्माण किया गया था, यानी सेवा प्राप्तकर्ताओं से। ऐसा हुआ कि इन सभी मामलों में जहां निर्माण

परियोजनाएं निर्धारिती द्वारा शुरू की गई थीं, कुछ वस्तुओं/सामग्रियों (विशेष रूप से, इस्पात और सीमेंट) की आपूर्ति या आपूर्ति सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा की गई थी। सेवा प्राप्तकर्ताओं के लिए बनाई गई परियोजनाओं में सामग्री का उपयोग किया जाना था, जाहिर है, निर्धारिती से इसकी कोई लागत नहीं ली गई थी। विभाग चाहता है कि "सकल मूल्य" की गणना करते समय आपूर्ति या मुफ्त प्रदान किए जाने पर भी ऐसी वस्तुओं/सामग्रियों के मूल्य को शामिल किया जाना चाहिए और इसके 33 प्रतिशत को सेवा कर शुल्क लगाने के उद्देश्य से मूल्य के रूप में माना जाना चाहिए। ।

4. इसलिए विचार के लिए, यहां प्रश्न है कि क्या किसी सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई या मुफ्त में प्रदान की गई और निर्माण या औद्योगिक परिसर की कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं/सामग्री के मूल्य को अधिनियम की धारा 67 के तहत कर योग्य सेवा और अधिसूचना संख्या 15/2004–एसटी दिनांक 10 सितंबर, 2004 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, जैसा कि अधिसूचना संख्या 4/2005–एसटी दिनांक 1 मार्च, 2005 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसके तहत अधिसूचना संख्या 15/2004–एसटी में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था) के अतंर्गत सकल राशि (सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित) की गणना में शामिल किया जाना है।

5. हम यहां उल्लेख कर सकते हैं कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'सीईएसटीएटी') की विभिन्न पीठों ने उपरोक्त प्रश्न पर परस्पर विरोधी विचार दिए थे और इसलिए, मामले को बड़ी पीठ को भेजा गया था, जिसने आक्षेपित निर्णय दिया है दिनांक 6 सितंबर, 2013 को मामलों के एक बैच में प्रस्तुत किए गए, ने इस मुद्दे को निर्धारिती के पक्ष में यह मानते हुए तय किया है कि 10 सितंबर, 2004 की उपरोक्त अधिसूचना के प्रयोजन के लिए सामान / सामग्री का मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता है, जैसा कि अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है। दिनांक 01 मार्च 2005। यह 6 सितंबर 2013 को बड़ी पीठ का उक्त निर्णय है, जिसकी शुद्धता वर्तमान अपील का विषय है ।

6. प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अधिनियम और अधिसूचनाओं के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार हैं – इसके अंतर्गतः

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 'वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण 'सेवा' अधिनियम की धारा 65 (105) (जेड जेड क्यू) के तहत गणना की गई एक कर योग्य सेवा है। अधिनियम की धारा 65 (25 बी) में निर्माण या औद्योगिक निर्माण सेवा के अर्थ को परिभाषित किया गया हैः

(क) एक नए भवन या एक नागरिक संरचना या एक भाग का निर्माण उसका; या

(ख) पाइपलाइन या नाली का निर्माण;

(ग) भवन या नागरिक संरचना के संबंध में ग्लेज़िंग, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, फर्श और दीवार टाइलिंग, दीवार को ढंकना और दीवार को पेपर करना, लकड़ी और भोजन जोड़ और बढ़ईगीरी, बाड़ और रेलिंग, स्विमिंग पूल का निर्माण, ध्वनिक अनुप्रयोग या फिटिंग और इसी तरह की अन्य सेवाओं को पूरा करना और समाप्त करना।

(घ) भवन या नागरिक संरचना, पाइपलाइन के संबंध में या इसी तरह की सेवाओं की मरम्मत, परिवर्तन, नवीनीकरण या बहाली या संवाहक,

जो कि–

(i) मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, या उपयोग किया जाता है; या

(ii) मुख्य रूप से कब्ज़ा कर लिया गया है, या कब्ज़ा किया जाना है; या

(iii) मुख्य रूप से वाणिज्य में लगे हुए हैं, या लगे हुए हैं उद्योग, या वाणिज्य या उद्योग के लिए इच्छित कार्य, लेकिन नहीं सड़कों, हवाई अड्डों के संबंध में प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाएं शामिल हैं रेलवे, परिवहन टर्मिनल, पुल, सुरंगें और बांध;"

7. अधिनियम की धारा 67 कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। 18 अप्रैल, 2006 से खंड में संशोधन किया गया था। अपरिवर्तित प्रावधान निम्नानुसारः

" 67. सेवा कर लगाने के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन के संबंध में – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी भी कर योग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि होगी।

स्पष्टीकरण 1. – शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी कर योग्य सेवा के मूल्य में, जैसा भी मामला हो, शामिल हैंः

(ए) द्वारा लिया गया कमीशन या ब्रोकरेज का कुल योग सहित प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद पर दलाल स्टॉक–ब्रोकर द्वारा किसी सब–ब्रोकर को भुगतान किया गया कमीशन या ब्रोकरेज;

(बी) किसी से टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा किए गए समायोजन आवेदन के समय ग्राहक द्वारा की गई जमा राशि टेलीफोन कनेक्शन या पेजर या प्रतिकृति या टेलीग्राफ या टेलेक्स या पट्टे पर दिए गए सर्किट के लिए;

(सी) बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी से ली गई प्रीमियम की राशि धारक;

(डी) हवाई यात्रा एजेंट द्वारा प्राप्त कमीशन एयरलाइन;

(ई) बीमांकिक द्वारा प्राप्त कमीशन, शुल्क या कोई अन्य राशि, या मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ या बीमा एजेंट से बीमाकर्ता;

(एफ) अधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति किसी भी मोटर कार की कोई भी सेवा करने के लिए निर्माता से, हल्के मोटर वाहन या दोपहिया मोटर वाहन निर्मित ऐसे निर्माता द्वारा; और

(जी) रेल यात्रा से प्राप्त कमीशन या कोई राशि रेलवे का एजेंट या ग्राहक,

लेकिन इसमें शामिल नहीं है–

(i) आवेदन के समय ग्राहक द्वारा की गई प्रारंभिक जमा राशि टेलीफोन कनेक्शन या पेजर या प्रतिकृति (फैक्स) के लिए या टेलीग्राफ या टेलेक्स या लीज्ड सर्किट के लिए;

(ii) अप्रकाशित फोटोग्राफी फिल्म की लागत, जो अभिलिखित नहीं है। सेवा प्रदान करने के दौरान ग्राहक को बेचे गए चुंबकीय टेप या ऐसे अन्य भंडारण उपकरण, यदि कोई हों;

(iii) मोटर कारों, हल्के मोटर वाहन या दो पहियों वाले मोटर वाहनों की सेवा या मरम्मत के दौरान ग्राहक को बेचे गए पुर्जों या सहायक उपकरण, या उपभोग्य जैसे स्नेहक और शीतलक, यदि कोई हो, की लागत;

(iv) हवाई यात्रा अभिकर्ता द्वारा उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में एकत्र किया गया हवाई किराया;

(v) सेवा के संबंध में रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा एकत्र किया गया रेल किराया उसके द्वारा प्रदान किया गया;

(viii) ऋण पर ब्याज।

स्पष्टीकरण 2. – जहाँ सेवा प्रदाता द्वारा ली जाने वाली सकल राशि में देय सेवा कर शामिल है, कर सेवा ऐसी राशि होगी जो देय कर के जोड़ के साथ, प्रभारित सकल राशि के बराबर हो।

स्पष्टीकरण 3. – शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कर योग्य सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में शामिल होंगेः ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त कोई राशि।

(i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान धन के रूप में प्रतिफल के लिए है, ऐसी सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा ली गई या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सकल राशि होगी;
(ii) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान पूरी तरह या आंशिक रूप से धन से युक्त नहीं है, धन में ऐसी राशि होनी चाहिए, जो सेवा कर के अतिरिक्त के बराबर हो सोच–विचार;
(iii) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान एक ऐसे प्रतिफल के लिए है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, वह राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जा सकती है।

(2) जहां किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में देय सेवा कर शामिल है, ऐसी कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगी जो देय कर को जोड़ने के साथ सकल राशि के बराबर हो।

(3) कर योग्य सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि इसमें ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त कोई भी राशि शामिल है।

(4) उप–धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मूल्य का निर्धारण ऐसी तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित की जाए।

स्पष्टीकरण। – इस धारा के प्रयोजनों के लिए।

(क) "प्रतिफल" में कोई भी राशि शामिल है जो प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं के लिए देय है;

(ख) "धन" में कोई भी मुद्रा, चेक, वचन पत्र, ऋण पत्र, मसौदा, भुगतान आदेश, यात्री चेक, मनी ऑर्डर, डाक प्रेषण और इसी तरह के अन्य साधन शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुद्रा को शामिल करें जो इसके मुद्राशास्त्रीय मूल्य के लिए रखी जाती है;

(ग) "सकल राशि शुल्क" में चेक, क्रेडिट कार्ड, खाते से कटौती और क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करके किसी भी प्रकार का भुगतान और [पुस्तक समायोजन, और किसी भी खाते में जमा या डेबिट की गई कोई भी राशि, जैसा भी मामला हो, शामिल है। , चाहे सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की पुस्तकों में 'सस्पेंस अकाउंट' या किसी अन्य नाम से जाना जाता है, जहां कर योग्य सेवा का लेनदेन किसी भी संबद्ध उद्यम के साथ होता है।]"

8. संशोधन के बाद, अधिनियम की धारा 67 इस प्रकार हैः

धारा 67. सेवा शुल्क के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन उप–कर

(1) इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी कर योग्य सेवा पर उसके मूल्य के संदर्भ में सक्षम सेवा कर शुल्क –

(i) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान धन में प्रतिफल के लिए है, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि होगी;

(ii) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान किसी ऐसे प्रतिफल के लिए है जिसमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से धन शामिल नहीं है, ऐसी राशि हो जो धन में सेवा कर के अतिरिक्त के बराबर हो। विचार करना;

(iii) ऐसे मामले में जहां सेवा का प्रावधान एक ऐसे प्रतिफल के लिए है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, वह राशि निर्धारित तरीके से निर्धारित की जा सकती है।

(2) जहां किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए ली जाने वाली सकल राशि में देय सेवा कर शामिल है, ऐसी कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगी जो देय कर के अतिरिक्त, ली जाने वाली सकल राशि के बराबर हो।

(3) कर योग्य सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि इसमें ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त कोई भी राशि शामिल है।

(4) उप–धारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मूल्य का निर्धारण ऐसी तरीके से किया जाएगा जो निर्धारित की जाए।

स्पष्टीकरण। – इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

[(क) "प्रतिफल" में शामिल है।

(i) प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं के लिए देय कोई भी राशि या प्रदान करने के लिए;

(ii) ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर, कर योग्य सेवा प्रदान करने या प्रदान करने के लिए सहमत होने के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा किया गया कोई प्रतिपूर्ति योग्य खर्च या लागत, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जाएं;

(ग) "प्रभारित सकल राशि" में चेक, क्रेडिट कार्ड, खाते से कटौती और क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करके किसी भी प्रकार का भुगतान शामिल है और [पुस्तक समायोजन, और कोई भी राशि, जैसा भी मामला हो, किसी भी खाते में जमा या डेबिट की जाती है, चाहे वह "सस्पेंस खाता" हो या किसी अन्य नाम से, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की लेखा बहियां, जहां कर योग्य सेवा का लेनदेन किसी भी संबद्ध उद्यम के साथ होता है।] "

9. छूट अधिसूचनाएँः

(क) (ए) केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 12/2003–एसटी दिनांक 26 जून 2003, अधिनियम की धारा 93(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सेवा द्वारा बेची गई वस्तुओं और सामग्रियों के मूल्य में छूट दी गई है सेवा के प्राप्तकर्ता को उस पर लगाए जाने वाले कर से प्रदाता, दस्तावेजी प्रमाण के अधीन, विशेष रूप से ऐसे सामान और सामग्री के मूल्य का संकेत देता है। यह अधिसूचना दिनांक 01.07.2017 से लागू होने के लिए निर्दिष्ट की गई थी। 01 जुलाई 2013.

(ख) अधिसूचना संख्या 15/2004–एसटी दिनांक 10 सितंबर, 2004 द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवा के संबंध में एक और छूट दी गई थी। निर्माण सेवा के संबंध में किसी भी व्यक्ति के लिए एक वाणिज्यिक चिंता। यह अधिसूचना इस प्रकार हैः

“वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा निर्माण सेवा के संबंध में किसी वाणिज्यिक संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई कर योग्य सेवा को उक्त अधिनियम की धारा 66 के तहत लगाए जाने वाले सेवा कर से छूट देता है, जो कि मूल्य पर गणना किए गए सेवा

कर से अधिक है। जो उक्त कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए ऐसी वाणिज्यिक संस्था द्वारा किसी भी व्यक्ति से ली गई सकल राशि के तैंतीस प्रतिशत के बराबर है।
बशर्ते कि यह छूट ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां

(i) निवेश या पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए शुल्क का क्रेडिट सेनवाट क्रेडिट नियम, 2004 के प्रावधानों के तहत लिया गया है;

या

(ii) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 12/2003–सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2003 [जी. एस. आर. 503 (ई), दिनांक 20 जून, 2003] में भारत सरकार की अधिसूचना के तहत वाणिज्यिक संस्था ने लाभ उठाया है।

"स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "प्रभारित सकल राशि" में निर्माण प्रदाता द्वारा आपूर्ति या प्रदान या उपयोग की गई वस्तुओं और सामग्रियों का मूल्य शामिल होगा। ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए सेवा "।

10. हम इस स्तर पर यह भी नोट कर सकते हैं कि बोर्ड ने 17 सितंबर, 2004 का परिपत्र भी जारी किया है जिसमें इन प्रावधानों के दायरे को स्पष्ट किया गया है। इसके पैरा 13.5 में, छूट जारी करने के कारण प्रशस्ति पत्र दिए गए। यह पैरा इस प्रकार हैः

"13.5 भवन ठेकेदारों द्वारा लिए गए सकल मूल्य में सामग्री की लागत, अर्थात् सीमेंट, इस्पात, फिटिंग और फिक्स्चर, टाइल्स आदि की लागत शामिल है। सेनवाट क्रेडिट नियम, 2004 के तहत,सेवा प्रदाता इन पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क का श्रेय ले सकता है। इनपुट। हालांकि, यह बताया गया है कि ये सामग्री आम तौर पर बाजार से खरीदी जाती हैं और शुल्क भुगतान दस्तावेजों के तहत नहीं आती हैं। इसके अलावा, सेवा प्रदान करने के दौरान बेची गई वस्तुओं के लिए एक सामान्य छूट उपलब्ध है।(अधिसूचना संख्या 12/2003–एसटी) लेकिन छूट के अधीन है विशेष रूप से दस्तावेजी प्रमाण की उपलब्धता की शर्त बेचे गए माल का मूल्य दर्शाता है। एक समग्र अनुबंध के मामले में, बेचे गए माल के मूल्य का विभाजन अक्सर मुश्किल होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, समग्र अनुबंधों के मामले में 67 प्रतिशत की कमी का प्रावधान किया गया है, जहां प्रभारित सकल राशि में सामग्री लागत का मूल्य शामिल है। (अधिसूचना संख्या 15/2004–एस. टी. दिनांकित 10–9–2004 संदर्भित)। हालाँकि, यह इस शर्त के अधीन वैकल्पिक होगा कि इनपुट वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं

का कोई क्रेडिट नहीं होगा और छूट का कोई लाभ (अधिसूचना संख्या 12/2003–एस.टी. के तहत) नहीं माल की लागत का लाभ उठाया जाता है।

11. जैसा कि शुरुआत में ही बताया जा चुका है, ये सभी निर्धारिती अधिनियम की धारा 65 (25 बी) के दायरे में आते हैं। ' निर्माण या औद्योगिक निर्माण सेवा ', जो अधिनियम की धारा 65 (105) (जेड जेड क्यू) के प्रावधानों के अनुसार एक कर योग्य सेवा है। पूरा विवाद उस मूल्यांकन से संबंधित है जिस पर निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं के संबंध में निर्णय लिया जाना है। अधिक सटीक रूप से, मुद्दा यह है कि क्या सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई या मुफ्त में प्रदान की गई वस्तुओं/सामग्रियों का मूल्य और निर्माण या औद्योगिक परिसर की कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, सेवा प्रदाता द्वारा कर योग्य के मूल्यांकन के लिए ली गई सकल राशि की गणना में शामिल किया जाना कर योग्य सेवा के मूल्यांकन के लिए, अधिनियम की धारा 67 में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह 'सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई या उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए ली गई सकल राशि' होगी। क्या सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता/निर्धारिती को निःशुल्क आपूर्ति की गई सामग्रियों/वस्तुओं का मूल्य 'सकल राशि' पर पहुंचने के लिए शामिल किया जाना है या नहीं, यह प्रश्न का विषय है। इस पहलू पर, अधिनियम की असंशोधित धारा 67 से संशोधित धारा 67 में कोई अंतर नहीं है और पक्षकार इस हद तक सहमत थे।

12. उपरोक्त परिभाषा को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि संशोधन से पहले और बाद में, जिस मूल्य पर सेवा कर देय है, उसे देना होगा। निम्नलिखित अवयवों को संतुष्ट करें:

(क) प्रभारित सकल राशि पर सेवा कर देय है: "सकल राशि" शब्द केवल सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता के बीच पूरे अनुबंध मूल्य को संदर्भित करता है। सकल शब्द का अर्थ केवल यह दर्शाना है कि यह किसी भी खर्च की कटौती के बिना ली गई कुल राशि है। केवल "सकल" शब्द के उपयोग से विभाग को अनुबंध मूल्य से परे जाने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता है। कर योग्य सेवाओं का मूल्य। इसके अलावा, "प्रभारित" शब्द के उपयोग से, यह स्पष्ट है कि यह सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता को बिल की गई राशि को संदर्भित करता है। इसलिए, धारा 67 के संदर्भ में, जब तक कि सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता से कोई राशि नहीं ली जाती है, यह उस मूल्य को निर्धारित करने के लिए समीकरण में प्रवेश नहीं करता है जिस पर सेवा कर देय है।

(ख) प्रभारित राशि "प्रदान की गई ऐसी सेवा के लिए" होनी चाहिए: धारा 67 स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि सेवा प्रदाता द्वारा ली गई सकल राशि प्रदान की गई सेवा के लिए होनी चाहिए। इसलिए, यह कोई भी प्रभारित

राशि नहीं है जो उस मूल्य का आधार बन सकती है जिस पर सेवा कर देय हो जाता है, लेकिन प्रभारित राशि अनिवार्य रूप से प्रदान की गई सेवा के लिए एक विचार होना चाहिए जो अधिनियम के तहत कर योग्य है। "प्रदान की गई ऐसी सेवा के लिए" शब्दों का उपयोग करके अधिनियम ने प्रभारित राशि और प्रदान की गई सेवा के बीच एक संबंध का प्रावधान किया है। अतः कोई भी राशि जो प्रभारित की जाती है कर योग्य सेवा के साथ कोई संबंध नहीं है और एक नहीं है प्रदान की गई सेवा के लिए प्रतिफल उस मूल्य का हिस्सा नहीं बन जाता है जो धारा 67 के तहत कर योग्य है। सेवा प्रदाता को सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान की गई मुफ्त आपूर्ति वस्तुओं की लागत न तो सेवा प्रदाता द्वारा "ली गई राशि" है और न ही इसे सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए एक प्रतिफल के रूप में माना जा सकता है। वास्तव में, इसका उन कर योग्य सेवाओं के साथ कोई संबंध नहीं है जिनके लिए मूल्य निर्धारित करने की मांग की जाती है "

13. 'सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए सेवा प्रदाता द्वारा ली जाने वाली सकल राशि' अभिव्यक्ति का एक सादा अर्थ वह 'इस स्पष्ट निष्कर्ष पर ले जाएगा कि सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाने वाली वस्तुओं/सामग्री का मूल्य' सकल राशि 'पर पहुंचने पर शामिल नहीं किया जाना है, केवल इस कारण से कि निर्धारिती/सेवा प्रदाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री के संबंध में सेवा प्राप्तकर्ता से कोई मूल्य नहीं लिया जाता है। यह सेवा प्रदाता/निर्धारिती द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवा के लिए शब्दों से और मजबूत होता है। पुनः, जाहिर है, सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं/सामग्रियों के संबंध में, निर्धारिती/सेवा प्रदाता द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है। धारा 67 की उप–धारा (1) का स्पष्टीकरण 3 यह स्पष्ट करके किसी भी संदेह को दूर करता है कि कर योग्य सेवा के लिए ली गई सकल राशि में ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, उसके दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त राशि शामिल होगी, जिसका अर्थ है कि जहां नहीं ऐसी सामग्री/वस्तुओं के संबंध में जो राशि ली जाती है, उसे शामिल नहीं किया जाता है, जो सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाती है, स्वाभाविक रूप से, सेवा प्रदाता/निर्धारिती द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की जाती है।हालाँकि, धारा 67 की उपधारा (4) में कहा गया है कि मूल्य निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, तथापि, यह उपधारा (1), (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन है। इसके अलावा, ऐसा कोई तरीका निर्धारित नहीं है जिसमें सकल मूल्य के निर्धारण के लिए सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई मुफ्त वस्तुओं/सामग्री का मूल्य शामिल हो।

14. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि उप–धारा के लिए स्पष्टीकरण (ग) (4) राजस्व द्वारा लिए गए रुख को मजबूत करने के लिए राजस्व के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था और हम फिर से उक्त कथन को दोहराते हैं। विवाद को समझने के लिए नीचे स्पष्टीकरण दिया गया हैः

(ग) "सकल राशि शुल्क" में चेक, क्रेडिट द्वारा भुगतान शामिल है। कार्ड, खाते से कटौती और निर्गम द्वारा भुगतान का कोई भी रूप 'सस्पेंस अकाउंट' या किसी अन्य नाम से, की पुस्तकों में कहा जाता है सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का खाता, जहाँ लेनदेन कर योग्य सेवा किसी भी संबद्ध उद्यम के साथ है।] "

[जोर दिया गया]

15. यह तर्क दिया गया था कि किसी भी रूप में प्राप्त भुगतान 'और' कोई भी जमा या डेबिट की गई राशि, जैसा भी मामला हो, सकल राशि शुल्क पर पहुंचने के उद्देश्यों के लिए शामिल की जानी है और सेवा कर का भुगतान करने के लिए देय है। उस आधार पर, यह तर्क देने की मांग की गई थी कि मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं/सामग्रियों का मूल्य भुगतान का एक रूप है और इसलिए इसे जोड़ा जाना चाहिए। हम उपरोक्त के पीछे के तर्क को समझने में विफल हैं। स्पष्टीकरण (सी) को पढ़ने से, जो 'सकल राशि शुल्क' को कुछ अन्य भुगतानों में शामिल करता है, यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उद्देश्य भुगतान के अन्य तरीकों को शामिल करना है, चाहे वह किसी भी रूप में प्राप्त हुआ हो; चाहे वह चेक, क्रेडिट कार्ड, खाते से कटौती आदि के माध्यम से हो। प्रावधानों में यह उल्लेख किया गया है कि क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करके और बुक एडजस्टमेंट द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान भी शामिल किया जाना है। अतः 'भुगतान के किसी भी रूप में' शब्द हैं – क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी करने और पुस्तक समायोजन के माध्यम से। सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के साथ, कोई मामला नहीं बनता है कि कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी किए गए थे या कोई पुस्तक समायोजन किया गया था। इसी तरह, शब्द, 'कोई भी राशि, जैसा भी मामला हो, जमा या डेबिट की गई', किसी भी खाते में, चाहे उसे कहा जाए। खाते में या किसी अन्य नाम से, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में मुफ्त में आपूर्ति की गई वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं होगा क्योंकि किसी भी खाते में कोई राशि जमा या डेबिट नहीं की गई थी। वास्तव में, यह अंतिम भाग एक सहयोगी उद्यम के खाते के डेबिट या क्रेडिट से संबंधित है और इसलिए, उन राशियों का ध्यान रखता है जो सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए संबद्ध उद्यम द्वारा प्राप्त की जाती हैं।

16. वास्तव में, धारा 67 के स्पष्टीकरण (सी) में दी गई "सकल राशि प्रभारित" की परिभाषा केवल भुगतान या पुस्तक समायोजन के तरीकों के लिए प्रदान करती है जिसके द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा प्रदाता को प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। यह "सकल चार्ज की गई राशि" शब्द के अर्थ का विस्तार नहीं करता है, जिससे विभाग अनुबंध मूल्य या सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए सेवा प्राप्तकर्ता से ली गई वास्तविक राशि को नजरअंदाज कर सके। तथ्य यह है कि यह एक समावेशी परिभाषा है और संपूर्ण नहीं हो सकती है, इससे यह निष्कर्ष भी नहीं निकलता है कि अनुबंध मूल्य को नजरअंदाज किया जा सकता है और कर योग्य मूल्य पर पहुंचने के लिए अनुबंध मूल्य के ऊपर मुफ्त आपूर्ति वाले सामान का मूल्य जोड़ा जा सकता है। सेवाएँ। कर योग्य सेवाओं का मूल्य सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर नहीं हो सकता है। सेवा प्राप्तकर्ता किसी भी गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग कर सकता है और ऐसे सामान का मूल्य काफी भिन्न हो सकता है। इस तरह के मूल्य का सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार, पहले सिद्धांत पर ही, एक मूल्य जो सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता के बीच अनुबंध का हिस्सा नहीं है, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं के मूल्य के निर्धारण में कोई प्रासंगिकता नहीं है।

17. उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, राजस्व के लिए विद्वान वकील का तर्क था कि यदि निर्धारिती नहीं चाहते थे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की गई वस्तुओं/सामग्रियों का मूल्य शामिल है, वे अधिसूचना दिनांकित 10 सितंबर, 2004 सह पठित अधिसूचना दिनांकित 1 मार्च, 2005 के लाभ के हकदार नहीं थे । यह तर्क दिया गया था कि चूंकि भवन निर्माण अनुबंध सेवाओं के साथ–साथ वस्तुओं की आपूर्ति प्रदान करने का एक समग्र अनुबंध है, इसलिए उक्त अधिसूचनाएं निर्धारिती की सुविधा के लिए जारी की गई थीं। राजस्व के अनुसार, इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के घटक को 67%:33% में विभाजित करना और सकल राशि के 33% पर सेवा कर के भुगतान के लिए एक तैयार फॉर्मूला प्रदान करना था। यह प्रस्तुत किया गया था कि सेवा तत्व के लिए 33% का यह प्रतिशत इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया था कि संपूर्ण निर्माण परियोजना में, लगभग 67% में सामग्री की लागत शामिल है और 33% सेवाओं का मूल्य है। हालाँकि, 67% का यह आंकड़ा एक निर्माण परियोजना में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सामग्रियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए निकाला गया था। इसलिए, यह करदाता पर निर्भर है कि वह सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की गई वस्तुओं/सामग्री के मूल्य को भी शामिल करे अन्यथा यह असंतुलन पैदा करेगा और उक्त अधिसूचना जारी करते समय ध्यान में रखी जाने वाली सादृश्यता को बिगाड़ देगा और ऐसी स्थिति में , एओ उपरोक्त अधिसूचनाओं के

लाभ से इनकार कर सकता है। यह तर्क प्रारंभ में आकर्षक लग रहा है लेकिन समग्र रूप से अधिसूचनाओं को पढ़ने पर, हमारे दिमाग में, यह एक वैध तर्क नहीं है।

18. पहली बार में, हमारे सामने इस बात को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की जाती है कि अधिसूचना जारी करते समय सूत्र के उपरोक्त आधार को अपनाया गया था। ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, यह किसी का भी अनुमान होगा कि इन अधिसूचनाओं को जारी करने और सकल राशि के 33 प्रतिशत के बराबर मूल्य पर गणना करने के लिए सेवा कर निर्धारित करने में केंद्र सरकार के दिमाग में क्या चला। दूसरा, भाषा स्वयं राजस्व के विद्वान वकील के तर्क को खारिज करती है क्योंकि यह कहती है कि 'उक्त कर योग्य सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी भी व्यक्ति से ली गई सकल राशि का 33 प्रतिशत'। इन अधिसूचनाओं के अनुसार, सेवा कर की गणना उस मूल्य पर की जानी है जो सेवा प्राप्तकर्ता से ली जाने वाली सकल राशि का 33 प्रतिशत है। जाहिर है, सेवा प्रदाता द्वारा उन वस्तुओं या सामग्रियों के संबंध में कोई राशि नहीं ली जाती है (और यह नहीं हो सकती) जो सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा प्रदान किया गया। यह यह भी स्पष्ट करता है कि सकल राशि के मूल्यांकन का प्रभारित राशि के साथ एक कारण संबंध है। सेवा प्रदाता द्वारा वह 'कर योग्य सेवा' का तत्व बन जाता है। तीसरा, यहां तक कि जब स्पष्टीकरण दिनांक 1 मार्च, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से जोड़ा गया था, तो यह केवल यह समझाया गया था कि सकल राशि प्रभारित में निर्माण सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति की गई या प्रदान की गई या उपयोग की गई वस्तुओं और सामग्रियों का मूल्य शामिल होगा। इस प्रकार, यद्यपि यह सेवा प्रदाता/निर्धारिती द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं और सामग्रियों के मूल्य का ध्यान रखता है, जिसमें शुल्क की गई सकल राशि पर पहुंचने के उद्देश्य से ऐसी वस्तुओं और सामग्रियों का मूल्य शामिल किया जाता है, लेकिन यह किसी भी वस्तु के मूल्य का ध्यान नहीं रखता है। संभाव्यता जिसके द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आपूर्ति या प्रदान की गई वस्तुओं और सामग्री के मूल्य को भी सकल राशि 'प्रभारित सकल राशि' पर पहुंचने में शामिल किया जाना था।

19. द्रव्य को दूसरे कोण से भी देखा जा सकता है। **आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केरल बनाम एम एस लार्सन एंड टुब्रो** लिमिटेड **(2016) 1 एस सी सी 170** के मामले में यह न्यायालय खंड (105) के उप–खंड (जेड जेड क्यू) द्वारा कवर किए गए 'कर योग्य सेवाओं' के संबंध में खंड (25 बी) के साथ पढ़े गए और खंड (105) के उप–खंड (जेड जेड जेड जेड) सह पठित अधिनियम के अध्याय V की धारा 65 के 30 ए) और (91 ए) के अंतगर्त छूट अधिसूचनाओं पर विमर्श कर रहा था । इस न्यायालय ने पाँच 'कर योग्य सेवाओं'

के संबंध में निर्णय [अर्थात। धारा 65 (105) (जी), (जेड जेड डी), (जेड जेड), (जेड जेड क्यू) और (जेड जेड एच)] ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

" 23. वित्त अधिनियम, 1994 पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलेगा कि धारा 65 (105) में निर्दिष्ट निश्चित कर योग्य सेवाओं का उल्लेख केवल सेवा अनुबंधों के लिए किया जाएगा, न कि संयुक्त कार्य अनुबंध। यह धारा 65 (105) की भाषा से ही स्पष्ट है जो 'कर योग्य सेवा' को 'प्रदान की गई किसी भी सेवा' के रूप में परिभाषित करती है। इसके अलावा, छूट अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए, इसने कहाः

" 42.....चूँकि सेवा कर का उद्ग्रहण ही अस्तित्वहीन पाया गया है, इसलिए किसी भी छूट का कोई सवाल ही नहीं उठेगा।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सेवा कर 'कर योग्य सेवाओं' के संबंध में और प्रभारित सकल राशि के 33 प्रतिशत तक पहुंचने के उद्देश्य से लगाया जाना है, जब तक कि कुछ वस्तुओं/ सामग्रियों का मूल्य विशेष रूप से विधानमंडल द्वारा शामिल नहीं किया जाता है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता है।

20. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रश्नों में अधिसूचनाएँ हैं छूट अधिसूचनाएँ जो अधिनियम की धारा 93 के तहत जारी की गई हैं। धारा 93 के अनुसार, केंद्र सरकार को पूरी तरह या आंशिक रूप से सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट देने का अधिकार है, जो धारा 65 के खंड (105) के किसी भी उपखंड में परिभाषित किसी भी 'कर योग्य सेवा' पर अधिरोपित है। इस प्रकार , धारा 93 के तहत छूट केवल उन गतिविधियों के संबंध में दी जा सकती है जिन पर संसद सेवा कर लगाने में सक्षम है और खंड (105) के उप–खंड (जेड जेड क्यू) और खंड (105) के उप–खंड (जेड जेड जेड जेड) के अंतर्गत आती है। अधिनियम के अध्याय V की धारा 65 जिसके तहत ऐसी अधिसूचनाएँ जारी की गईं।

21. उपरोक्त कारणों से, हम विवादित मामले में सी.ई.एस.टी.ए.टी. की पूर्ण पीठ द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2013 के प्रश्नगत निर्णय में लिए गये दृष्टिकोण से सहमत हैं एवं राजस्व की इन अपीलों को खारिज करते है ।

22. जहां तक 2015 की सिविल अपील संख्या 3247 का संबंध है, जहां निर्धारिती गुरमेहर कंस्ट्रक्शन है, यह अतिरिक्त रूप से ध्यान दिया जा सकता है (प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा इंगित किया गया है) कि निर्धारिती श्री नरेंद्र सिंह अटवाल के एकमात्र स्वामित्व की फर्म थी, जिनकी 24 फरवरी, 2014 को मृत्यु हो गई। 16 मई, 2017 को प्रत्यर्थी द्वारा जवाबी हलफनामे की फाइल में ऐसा कहा गया है और इस स्थिति पर विभाग द्वारा विवाद

नहीं किया गया है। यह अपील, किसी भी मामले में, **शबीना अब्राहम और अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क (2015) 10 एस सी सी 770** मामलों में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए भी समाप्त हो गई है।

23. नतीजतन, सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।